संख्या-69/2022/001-1334/26-3-2022

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 जून 2022

विषयः-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागींण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद लखीमपुरखीरी के विकास कार्यो की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-293/स.क./विकास/एकीकृत-लखीमपुर खीरी(77)/2022-23, दिनांक-09.06.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-35/2022/1550/26-3-2022, दिनांक-31.03.2022 द्वारा जनपद लखीमपुरखीरी में विकास कार्य कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत की गयी कुल धनराशि रू0-802.180 लाख पर कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा रू0-16.0436 लाख की टी0डी0एस0 कटौती करते हुये बिल पारित किया गया परन्तु कोषागार पोर्टल के तकनीकी कारणों से यू0पी0आर0एन0एस0एस0 लखनऊ के खातें में भुगतान होने वाली धनराशि अन्तरित न हो सकी। टी0डी0एस0 कटौती की धनराशि कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एस0एस0 लखनऊ के पैन पर स्थानान्तरित हो चुकी है तथा शुद्ध देय धनराशि रू0-786.1364 लाख तक की स्वीकृति पर टी0डी0एस0 की कटौती नही की जायेगी।

2- उक्त वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-10-अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0-2000.00 लाख (रू0 दो हजार लाख मात्र) से लेखानुदान अवधि के लिये जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों की धनराशि को घटाने/समायोजित करने के उपरान्त तथा शेष धनराशि से लम्बित देयता के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-35/ 2022/1550/26-3-2022, दिनांक-31.03.2022 के क्रम में कार्य की अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0-300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

जनपद-लखीमपुरखीरी विकासखण्ड पलिया **(धनराशि रू 0 लाख में)**

क्र0सं0	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	अवशेष वांछित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक-31.03.2022 को स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत धनराशि पर 2 प्रतिशत टी 0 डी 0 एस 0 कटौती	2 प्रतिशत टी 0 डी 0 एस 0 कटौती के उपरान्त स्वीकृति हेतु	स्वीकृत धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

								प्रस्तावित धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बसही कालोनी	पिच रोड इण्टर लाकिंग/ नाली निर्माण	472.30	50.00	422.30	211.150	4.2230	206.927	75.00
2	बेलाकला	तदैव	459.02	50.00	409.02	204.510	4.0902	200.4198	75.00
3	पटुआ	तदैव	430.27	50.00	380.27	190.135	3.8027	186.3323	75.00
4	नगला	तदैव	442.77	50.00	392.77	196.385	3.9277	192.4573	75.00
		योग	**1804.36**	**200.00**	**1604.36**	**802.180**	**16.0436**	**786.1364**	**300.00**

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एस0एस0 लखनऊ से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायोगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा भौतिक सत्यापन आख्या के साथ फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य स्वीकृत धनराशि के अनुपात में कार्य कराने के उपरान्त कार्यदायी संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6)-आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7)-कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(8)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

पृ0संख्या-69/2022/001-1334(1)/26-3-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एस0एस0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।